बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
।। अधिसूचना ।।

संख्या– 03/वन अरा० स्था० –08/2026(खंड)............/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक.......

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः–** (1) यह नियमावली, ''बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026'' कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. ''बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013'' **के नियम–7 (क) में संशोधन।**–उक्त नियमावली के नियम–7 (क) के उपनियम (iv) के बाद उपनियम (v) निम्नवत् जोड़ा जाता है :–

"(v) वनरक्षी के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा आरक्षित वर्ग के विभिन्न कोटियों के अंतर्गत समान रूप से वर्गीकरण करते हुए भूतपूर्व अग्निवीरों के लिये, उपलब्ध रिक्तियों का 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इस आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् बिहार के मूल निवासी हो। यदि निर्धारित संख्या में अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनके लिये आरक्षित पदों में से शेष पदों पर संगत कोटि के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 03/वन अरा० स्था० –08/2026(खंड)............/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक.......

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 03 / वन अरा० स्था० –08 / 2026(खंड)........... / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक.........

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

2. इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–
(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 03 / वन अरा० स्था० –08 / 2026(खंड)........... / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक........

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 03 / वन अरा० स्था० –08 / 2026(खंड)........... / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक.......

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक(HoFF), बिहार, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / सभी मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 03 / वन अरा० स्था० –08 / 2026(खंड) 4360 / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक 23/7/26

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/7/26
(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव